न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर०ए०एस०अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 18/2018/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 25.01.2018
अन्तर्गत धाराः 75(1)एफ राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

श्रीमति गायत्री पुत्री स्वर्गीय श्री प्रभुलाल पत्नि श्री धर्मचंद, जाति ब्राह्मण, निवासी 1112 बसन्त विहार कोटा

...अपीलांट

बनाम

1. कृष्णावतार पुत्र स्व० प्रभुलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी चार हाटडी मौहल्ला कस्बा सांगोद, जिला कोटा
2. सीमा पुत्री रामावतार पत्नि सुरेश, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम अरण्डखेडा, तहसील सांगोद, जिला कोटा
3. कुमारी वन्दना पुत्री रामावतार, जाति ब्राह्मण
4. अनसुईया पत्नि स्व. रामावतार, जाति ब्राह्मण
   निवासीगण मकान नं. 4–टी–35 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा
5. रवि पुत्र सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान न0 1227 बसन्त विहार कोटा
6. रंजना पुत्री सत्यनारायण पत्नि सुरेश जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बांसखेड़ा, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां
7. कुमारी मोनिका पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण
8. गायत्री पत्नि सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण
   निवासीगण मकान नं0 1227 बसन्त विहार कोटा
9. नवीन पुत्र लक्ष्मण स्वरूप, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नं0 4139 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा
10. श्रीमति रेणु पुत्री लक्ष्मण स्वरूप, पत्नि प्रमोद, जाति ब्राह्मण, निवासी म.नं0 546–547 ज्योतिबाफूले नगर बून्दी, जिला बून्दी
11. मनीष पुत्र लक्ष्मण स्वरूप, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नं0 डी –74 मंगलम सीमेन्ट फैक्टरी स्टाफ कोलोनी मोड़क, जिला कोटा
12. सवित्री बाई पुत्री स्वर्गीय प्रभुलाल, जाति ब्राह्मण, पत्नी हरिप्रसाद ब्राह्मण, निवासी विवेक वंधनी स्कूल के पास अन्ता, तहसील अंता, जिला बारां
13. श्रीमति लीला पुत्री स्वर्गी प्रभूलाल, पत्नि भूपेन्द्र, निवासी मानपुरा कचहरी चौक पोष्ट भानपुरा, म.प्र.

अति. सं. आयुक्त
कोटा

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक –अपीलांट
श्री रविन्द्र कुमार खण्डेलवाल अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1, 5 लगायत 8

::निर्णय::

दिनांक 06.03.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रकरण सं0 41/2017 बउनवान कृष्णावतार बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2017 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (1) एफ अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र. 1 (प्रार्थी) कृष्णावतार द्वारा एक प्रार्थना–पत्र न्यायालय तहसीलदार सांगोद के समक्ष पेश कर मृतक खातेदार प्रभूलाल के हिस्से की ग्राम सांगोद में स्थित भूमि खसरा सं0 1709 रकबा 1.30 है0, खसरा सं0 1763 रकबा 3.48 है0, खसरा सं0 2245 रकबा 0.32 है0, खसरा सं0 2260 रकबा 1.35 है0 एवं खसरा सं0 2261/2583 रकबा 0.16 है0 कुल किता 5 की रकबा 6.61 हैक्टेयर का रजिस्टर्ड वसीयत क्र. 20017000008 दिनांक 07.04.2017 के आधार पर नामा. दर्ज करने हेतु पेश किया गया। साथ ही अपीलांट गायत्री द्वारा दिनांक 9.12.2017 को मृतक प्रभूलाल की पुत्री गायत्री बाई ने एक आपत्ति प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की प्रार्थीया ने स्व. प्रभूलाल की कृषि भूमियों में प्रार्थीया के हक की घोषणा व विभाजन के लिए वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद में प्रस्तुत कर रखा है। जिसके कारण वाद के लम्बित रहते हुये इस कार्यवाही को स्थगित किया जावे। न्यायालय तहसीलदार सांगोद द्वारा विवाद ग्रस्त आराजी वसीयतकर्ता की पुस्तेनी सम्पति नही होकर स्व अर्जित सम्पति होना मानते हुए प्रकरण में अपीलांट गायत्री बाई की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया तथा रेस्पो0 क्र. 1 कृष्णावतार की ओर से वसीयत के मुताबिक नामान्तरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पत्रावली में प्रस्तुत गवाहों के बयानो से वसीयत की सत्यता सिद्ध होना मानते हुए, रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मुताबिक वसीयत नामा. दर्ज करने का निर्णय दिनांक 09.12.2017 पारित किया गया।

2. न्यायालय तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रकरण संख्या 41/2017 कृष्णावतार बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2017 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75(1) एफ के अन्तर्गत प्रथम अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगोद द्वारा पारित आदेश कानून, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगोद ने अपीलांट के पिता स्वर्गीय प्रभुलाल ब्राह्मण आत्मज रामकल्याण, जाति ब्राह्मण निवासी सांगोद, तहसील सांगोद जिला कोटा के खाते की कृषि आराजियात मुताबिक वसीयतनामा वसीयतग्रहिता के खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि खातेदार स्वर्गीय श्री प्रभूलाल आ0 स्व0 रामकल्याण का दिनांक 04.07.2017 को स्वर्गवास हो गया था उनकी पत्नि का भी स्वर्गवास हो चुका है उनके

तीन पुत्र जिनमें से एक पुत्र रेस्पो0 क्र.1 कृष्णावतार जीवित रहे तथा दो पुत्रों सत्यनारायण एवं रामावतार का स्वर्गवास हो गया है जिनके वारिसान रेस्पो0 नंबर 2 लगायत 8 है। मृतक प्रभूलाल की चार पुत्रीयां है जिनमें से तीन जीवित है जो अपीलांट गायत्री देवी, रेस्पो नंबर 12 एवं 13 क्रमशः सावित्री देवी एवं लीला है। मृतक पुत्री उमादेवी के वारिसान रेस्पो0 नम्बर 9 लगायत 11 उसके पुत्र व पुत्रियां है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार स्वर्गीय प्रभूलाल के समस्त वारिसान अपीलांट एवं रेस्पो0 नंबर 11 एवं 12 को तलब किये बिना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट को एवं अन्य वारिसान की शहादत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही वसीयत एवं उत्तराधिकार के संबंध में समुचित रूप से जांच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वथा गलत एवं त्रुटिपूर्ण रूप से हुक्म जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित एवं अवैध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायलय ने गौर नहीं फरमाया कि अपीलांट के पिता श्री प्रभूलाल की आयु उनकी मृत्यु के समय लगायत 81 वर्ष की थी, वे काफी वृद्ध थे एवं कमजोर हो गये थे तथा उनके सोचने समझने की शक्ति नहीं थी एवं वे अपना अच्छा भला बुरा नहीं समझते थे। अपीलांट के पिता द्वारा रेस्पो0 नं0 1 लगायत 8 के पक्ष में कभी कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया गया तथाकथित वसीयतनामा कूटरचित एवं बनावटी है। रेस्पो0 नं0 1 लगायत 8 द्वारा तथाकथित वसीयत नामे को नियमानुसार गवाहान से प्रमाणित भी नहीं करवाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रमाणित वसीयतनामें के आधार पर अपीलांट के पिता प्रभूलाल के खाते की भूमि रेस्पो0 नं0 1 लगायत 8 के खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कर हुक्म जैरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। उपरोक्त भूमि पैतृक संपति है, जिसकी कानूनन वसीयत नहीं की जा सकती है, इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया। अधीनस्थ न्यायालय को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलांट एवं रेस्पो0 नंबर 1 लगायत 13 के पक्ष में अपीलांट के पिताजी खातेदार मृतक प्रभूलाल का फौती नामांतरकरण तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना चाहिए था। अपीलांट ने तहसीलदार सांगोद के समक्ष मृतक प्रभूलाल का फोती नामांतरकरण उनके समस्त वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.08.2017 को प्रस्तुत किया था। जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका में कोई उल्लेख नहीं किया गया तथा दिनांक 17.08.2017 को ही प्रभूलाल के वारिसान अपीलांट एवं रेस्पो0 नं 1 लगायत 8 के गवाहान के बयान लेने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट एवं प्रभूलाल के दिगर वारिसान को रेस्पो0 नंबर 1 लगायत 8 के गवाहान से जिरह करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उन्हें अपनी ओर से शहादत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही वसीयत एवं उत्तराधिकार के संबंध में जांच किये बिना ही हुक्म जैरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद के न्यायालय में एक घोषणा खातेदारी, विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा दिनांक 04.12.2017 को प्रस्तुत किया था। उक्त वाद की रेस्पो0 एवं तहसीलदार को सूचना हो चुकी थी। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रभूलाल के फौती नामांतरकण की कार्यवाही को स्थगित किये जाने के लिए

अति. सं. 6/3/2025
कोटा

प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वथा गैरकानूनी रूप से मनमाने तौर पर हुक्म जैरअपील प्रदान करने में त्रुटि की हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 1.12.2017 को जवाब प्रस्तुत किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका में जवाब का उल्लेख नहीं करने में त्रुटि की है। रेस्पो0 12 व 13 सावित्री एवं लीला को प्रेषित सम्मन अदम तामील में वापस आये थे इसका उल्लेख दिनांक 29.08.2017 की आदेशिका में भी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें पुनः तलब किये बिना ही सर्वथा अवैध रूप से हुक्म जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2017 को आगामी तारीख 17.11.2017 नियत की गई थी। दिनांक 17.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नहीं निकली थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख भी नियत नहीं की गई। इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के वकील की बहसे सुने बिना ही सीधे ही दिनांक 09.12.2017 को हुक्म जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। जबकि उक्त दिवस को राजकीय अवकाश था। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मृतक प्रभूलाल के फौती नामांतरकरण की कार्यवाही को कन्टेस्ट किया गया था। जवाब भी प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार सांगोद ने धारा 125(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर हुक्म जैरअपील निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट के पिता मृतक खातेदार का फौती नामांतरकरण उनके समस्त पुत्र, पुत्रियों एवं मृतक पुत्र, पुत्रियों के वारिसान अपीलांट एवं रेस्पो0 नंबर 1 लगायत 13 के पक्ष में तस्दीक किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। किंतु रेस्पो0 क्र 2, 3, 9, 10, 11 को जारी रजि0 एडी नोटिस को जारी किये जाने के पश्चात् 30 दिवस पूर्ण होने पर नोटिस प्राप्त नहीं होने की स्थिति में तामील पूर्ण मानी गयी तथा रेस्पो0 क्र. 12 व 13 को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त होने से तथा बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से तामील पूर्ण मानी गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पों0 क्र0 1, 5 लगायत 8 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगोद ने अपीलांट के पिता स्वर्गीय प्रभुलाल ब्राह्मण आत्मज रामकल्याण, जाति ब्राह्मण निवासी सांगोद, तहसील सांगोद जिला कोटा के खाते की कृषि आराजियात मुताबिक वसीयतनामा वसीयतग्रहिता के खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार स्वर्गीय प्रभूलाल के समस्त वारिसान अपीलांट एवं रेस्पो0 नंबर 11 एवं 12 को तलब किये बिना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा वसीयत एवं उत्तराधिकार के संबंध में समुचित रूप से जांच किये बिना ही आदेश

6/2/2025

पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट के पिता द्वारा रेस्पो0 नं0 1 लगायत 8 के पक्ष में कभी कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया गया तथाकथित वसीयतनामा कूटरचित एवं बनावटी है। रेस्पो0 नं0 1 लगायत 8 द्वारा तथाकथित वसीयत नामे को नियमानुसार गवाहान से प्रमाणित भी नहीं करवाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रमाणित वसीयतनामें के आधार पर अपीलांट के पिता प्रभूलाल के खाते की भूमि रेस्पो0 नं0 1 लगायत 8 के खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कर हुक्म जैरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। उपरोक्त भूमि पैतृक संपति है, जिसकी कानूनन वसीयत नहीं की जा सकती है, इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया। अधीनस्थ न्यायालय को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलांट एवं रेस्पो0 नंबर 1 लगायत 13 के पक्ष में अपीलांट के पिताजी खातेदार मृतक प्रभूलाल का फौती नामांतरकरण तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना चाहिए था। अपीलांट ने तहसीलदार सांगोद के समक्ष मृतक प्रभूलाल का फोती नामांतरकरण उनके समस्त वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.08.2017 को प्रस्तुत किया था। जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका में कोई उल्लेख नहीं किया गया तथा दिनांक 17.08.2017 को ही प्रभूलाल के वारिसान अपीलांट एवं रेस्पो0 नं 1 लगायत 8 के गवाहान के बयान लेने में त्रुटि की है। अपीलांट के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद के न्यायालय में एक घोषणा खातेदारी, विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा दिनांक 04.12.2017 को प्रस्तुत किया था, जिसकी उक्त वाद की रेस्पो0 एवं तहसीलदार को सूचना हो चुकी थी। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रभूलाल के फौती नामांतरकण की कार्यवाही को स्थगित किये जाने के लिए प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। रेस्पो0 12 व 13 सावित्री एवं लीला को प्रेषित सम्मन अदम तामील में वापस आये थे इसका उल्लेख दिनांक 29.08.2017 की आदेशिका में भी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें पुनः तलब किये बिना ही सर्वथा अवैध रूप से हुक्म जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2017 को आगामी तारीख 17.11.2017 नियत की गई थी.। दिनांक 17.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नहीं निकली थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख भी नियत नहीं की गई। इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के वकील की बहसे सुने बिना ही सीधे ही दिनांक 09.12.2017 को हुक्म जेरअपील प्रदान करने में त्रुटि की है। जबकि उक्त दिवस को राजकीय अवकाश था। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मृतक प्रभूलाल के फौती नामांतरकरण की कार्यवाही को कन्टेस्ट किया गया था। जवाब भी प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार सांगोद ने धारा 125(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर हुक्म जैरअपील निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट के पिता मृतक खातेदार का फौती नामांतरकरण उनके समस्त पुत्र, पुत्रियों एवं मृतक पुत्र, पुत्रियों के वारिसान अपीलांट एवं रेस्पो0 नंबर 1 लगायत

13 के पक्ष में तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण **2021(2) DNJ [Rev.] Page No. 964, RRT 2005(1) Page No. 665, RRT 2003(1) Page No. 650, RRT 2009(1) Page No. 376, RBJ (24) 2017 Page No. 334, RRT 2019(1) Page No. 184** पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1, 5 लगायत 8 ने अपने समर्थन में कथन किया कि मृतक खातेदार प्रभूलाल के हिस्से की ग्राम सांगोद में स्थित प्रश्नगत आराजी को रेस्पो0 के पक्ष वसीयत की गई है। तहसीलदार सांगोद द्वारा जांच उपरांत ही सभी वारिसान की अनापत्ति जाहिर किये जाने से पत्रावली अनुसार गवाहों के बयानों से वसीयत की सत्यता की सिद्ध होना प्रकट करते हुए ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार निर्णय दिनांक 09.12.2017 पारित किया गया है। साथ ही प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित आदेश जारी करते हुए दिनांक 19.01.2018 से गायत्री बाई द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.12.2017 के स्थान पर 09.12.2017 को सहवन से मार्क होना मानते हुए निर्णय दिनांक 08.12.2017 को सुनाया जाने से ''निर्णय व आदेशिका में दिनांक 09.12. 2017 के स्थान पर 08.12.2017 पढा जावे'' अंकित किया गया है। गायत्री देवी द्वारा दिनांक 17.08. 2017 के बयान (अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष) से वसीयत एडमीट कर रखी है तथा रजिस्टर्ड वसीयत की जांच का अधिकारी राजस्व न्यायालय को नहीं है। अपीलांट गायत्री देवी को वसीयत के विरूद्ध सिविल न्यायालय में ही चैलेंज किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट पोषनीय नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्र. 1 (प्रार्थी) कृष्णावतार द्वारा एक प्रार्थना–पत्र न्यायालय तहसीलदार सांगोद के समक्ष पेश कर मृतक खातेदार प्रभूलाल के हिस्से की ग्राम सांगोद में स्थित भूमि खसरा सं0 1709 रकबा 1.30 है0, खसरा सं0 1763 रकबा 3.48 है0, खसरा सं0 2245 रकबा 0.32 है0, खसरा सं0 2260 रकबा 1.35 है0 एवं खसरा सं0 2261/2583 रकबा 0.16 है0 कुल किता 5 की रकबा 6.61 हैक्टेयर का रजिस्टर्ड वसीयत क्र. 20017000008 दिनांक 07.04.2017 के आधार पर नामा. दर्ज करने हेतु पेश किया गया। साथ ही अपीलांट गायत्री द्वारा दिनांक 9.12.2017 को मृतक प्रभूलाल की पुत्री गायत्री बाई ने एक आपत्ति प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की प्रार्थीया ने स्व. प्रभूलाल की कृषि भूमियों में प्रार्थीया के हक की घोषणा व विभाजन के लिए वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद में प्रस्तुत कर रखा है। जिसके कारण वाद के लम्बित रहते हुये इस कार्यवाही को स्थगित किया जावे। न्यायालय तहसीलदार सांगोद द्वारा विवाद ग्रस्त आराजी वसीयतकर्ता की पुस्तेनी सम्पति नही होकर स्व अर्जित सम्पति होना मानते हुए प्रकरण में अपीलांट गायत्री बाई की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया तथा रेस्पो0 क्र. 1 कृष्णावतार की

ओर से वसीयत के मुताबिक नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पत्रावली में प्रस्तुत गवाहों के बयानो से वसीयत की सत्यता सिद्ध होना मानते हुए, रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मुताबिक वसीयत नामा: दर्ज करने का निर्णय दिनांक 09.12.2017 पारित किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुने जाने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामांतरकरण खोला गया है। यदि अपीलांटा को वसीयत से आपत्ति है तो सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामांतरकरण खोलने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। साथ ही प्रकरण में अपीलांटा द्वारा दिनांक 17.08.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में दिए बयानों में वसीयत स्वीकार की गई है, अतः अपीलांटा विबंध के सिद्धान्त (Doctrine of estoppel) से बाध्य है। इस प्रकार अपीलांटा द्वारा अपील के तथ्यों को सिद्ध नहीं किया जाने से हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रकरण सं0 41/2017 बउनवान कृष्णावतार बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2017 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

6/3/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा